स्वच्छता समाचार

खंड 5 | अंक 35

श्री सी. आर. पाटिल
माननीय केंद्रीय मंत्री की कलम से

यह सुनिश्चित करते हुए कि गांवों और समुदायों में स्वच्छता और साफ-सफाई सुचारू रूप से बनी रहे, भीषण गर्मी के बीच भी, हमारे सफाई कर्मचारी अटूट समर्पण और सेवा की भावना के साथ काम कर रहे हैं।

मैं आप सभी से अपील करता हूं कि स्वच्छता कर्मचारियों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए तथा उनके काम के प्रति सकारात्मक सहयोग और सम्मानजनक व्यवहार सुनिश्चित करते हुए सेवा और सम्मान की इस भावना को और मजबूत करें।

माननीय केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री सी आर पाटिल 29 मई 2026 को एक्स पर

श्री वी. सोमण्णा
माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री की कलम से

SBM(G) कार्यक्रम बुनियादी ढांचे से व्यवहार तक, निर्माण से दीर्घकालिक संस्कृति तक विकसित हुआ है। ODF से ODF Plus (मॉडल) तक की यात्रा केवल औपचारिक खानापूर्ति के बारे में नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करने के बारे में है कि परिवार, स्कूल, आंगनवाड़ी केंद्र और सार्वजनिक स्थान ग्रामीण जल और स्वच्छता मिशन की सफलता को दर्शाते हैं। SBM का अगला अध्याय पंचायतों, VWSCs, महिला समूहों और युवा क्लबों के साथ साझेदारी को प्रगाढ़ करना जारी रखेगा। SBM की यात्रा केवल शौचालयों या नालियों को बनाए रखने के बारे में नहीं है, यह स्वच्छता के माध्यम से आर्थिक अवसरों के बारे में है।

मंत्री ने 2 अक्टूबर 2025 को एक लेख लिखा

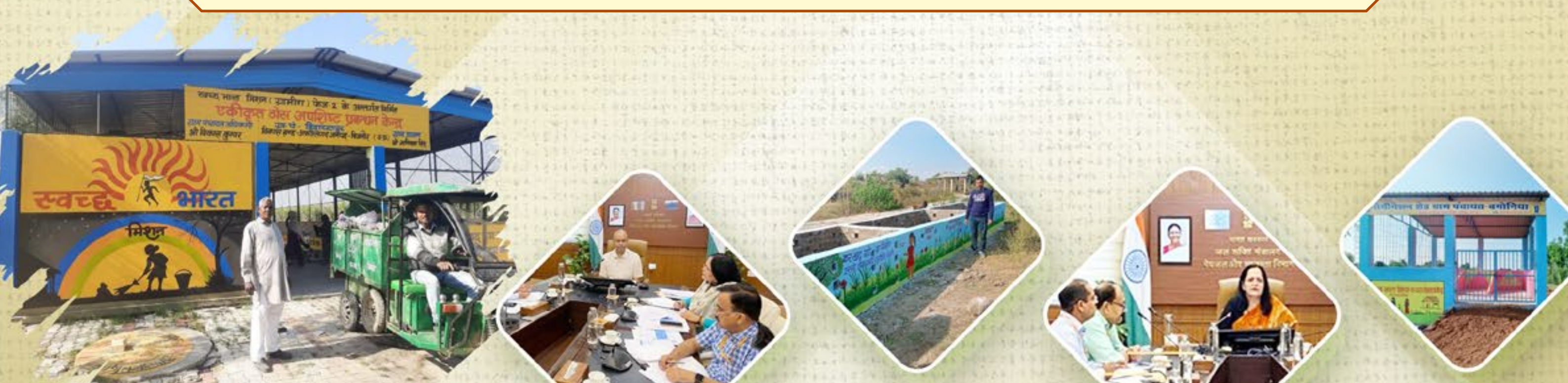

श्री अशोक के. के. मीणा
सचिव की कलम से

SBM(G) के तहत, हमारा ध्यान ODF Plus (मॉडल) को बनाए रखने और हर गांव में स्वच्छता सेवा प्रदायगी को मजबूत करने पर रहना चाहिए। यह सुनिश्चित करने में ग्राम पंचायतों की केंद्रीय भूमिका है कि केंद्र और राज्यों के संयुक्त प्रयासों के माध्यम से बनाई गई स्वच्छता परिसंपत्तियां कार्यशील, समुदाय-स्वामित्व वाली और जवाबदेह बनी रहें। सेवा प्रदायगी की समीक्षा करने, कमियों को दूर करने और अनुपालन को मजबूत करने के लिए DWSM की बैठकों का एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में लाभ उठाया जाना चाहिए। 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमों और माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उनकी निगरानी के साथ, हर स्तर की जिम्मेदारी पर नए सिरे से ध्यान केंद्रित किया गया है। जिलों, ग्राम पंचायतों और समुदायों को यह सुनिश्चित करने के लिए मिलकर काम करना चाहिए कि ठोस अपशिष्ट प्रबंधन रोजमर्रा की ग्रामीण स्वच्छता प्रणालियों का हिस्सा बन जाए।

सुजल ग्राम संवाद के 7वें संस्करण से

श्रीमती ऐश्वर्या सिंह
संयुक्त सचिव और मिशन निदेशक

SBM(G) के तहत, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को SWM नियम, 2026 के सख्ती से कार्यान्वयन और इस विषय पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए प्रत्येक गांव के लिए ODF Plus (मॉडल) का दर्जा प्राप्त करने के लिए योजना बनाने और काम करने की आवश्यकता है। 4-स्ट्रीम-स्रोत पृथक्करण, BWG पंजीकरण, EBWGR प्रमाणन और पुरानी डंप साइटों के शोधन के लिए ग्राम पंचायतों की सहायता से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा जमीनी स्तर पर निष्पादन को मजबूत करना महत्वपूर्ण है।

राष्ट्रीय समीक्षा बैठक पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, 22 मई 2026

क. कार्यक्रम की मुख्य विशेषताएं

महीने के अंत में अवलोकन

31 मई 2026 तक

ODF PLUS MODEL

- ODF Plus (मॉडल) घोषित गांव: **5.05 लाख से अधिक**
- गंदला जल प्रबंधन की व्यवस्था वाले गांव: **5.53 लाख से अधिक**
- ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की व्यवस्था वाले गांव: **5.33 लाख से अधिक**
- प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन इकाइयों से कवर किए गए ब्लॉक: **5495**
- गोबरधन के अंतर्गत स्कीम के शुभारंभ के बाद से SBM(G) के अंतर्गत **1156** सामुदायिक/क्लस्टर स्तरीय बायोगैस संयंत्रों का निर्माण किया गया है।

राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के साथ SWM नियम 2026 से संबंधित कार्यशाला

स्वच्छता पखवाड़ा 2026 कैलेंडर के अनुसार मई में भाग लेने वाले मंत्रालय/विभाग

i. विद्युत मंत्रालय

ii. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय

i. विद्युत मंत्रालय

विद्युत मंत्रालय
MINISTRY OF
POWER
सत्यमेव जयते

- अगरतला गैस आधारित पावर स्टेशन, AGGBPS त्रिपुरा द्वारा वृक्षारोपण अभियान।
- कामेंग, अरूणाचल प्रदेश में सामुदायिक भागीदारी के साथ प्लॉगिंग।
- तुइरियल हाइड्रो पावर स्टेशन, मिजोरम के पास के गांवों में सफाई अभियान और वृक्षारोपण।
- PFC ने 20 मई 2026 को 50 से अधिक छात्रों की भागीदारी के साथ एक सामाजिक कल्याण संगठन बाल सहयोग में स्वच्छता पर एक चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया।
- स्वच्छता, साफ-सफाई और स्वस्थ वातावरण के बारे में जागरूकता का प्रसार करने के लिए THD-CIL टिहरी, उत्तराखंड इकाई में एक नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया।
- महिलाओं के स्वास्थ्य से संबंधित स्वच्छता के बारे में जागरूकता का प्रसार करने के लिए THDCIL टिहरी यूनिट में मासिक धर्म स्वच्छता जागरूकता सत्र का आयोजन किया गया।
- स्वच्छता, साफ-सफाई और पर्यावरण के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए THDCIL खुर्जा इकाई में पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया।
- पर्यावरणीय जिम्मेदारी को बढ़ावा देते हुए स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण सुनिश्चित करने के लिए THDCIL खुर्जा उत्तर प्रदेश में एक स्वच्छता अभियान चलाया गया।
- नीपको गुवाहाटी ने रामदिया आदर्श LP स्कूल में स्वच्छता विषयों पर एक चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया।
- स्वच्छता जागरूकता रैलियों का आयोजन किया गया, जहां प्रतिभागी तख्तियां लेकर स्वच्छता की शपथ दिला रहे थे और स्वच्छता के बारे में जागरूकता फैला रहे थे।
- स्वच्छता जागरूकता रैलियों का आयोजन किया गया, जहां प्रतिभागियों ने सुंदरनगर में तख्तियां लेकर स्वच्छता शपथ ली।
- THDCIL अमेलिया इकाई ने स्वच्छता और पर्यावरणीय जिम्मेदारी के बारे में जागरूकता का प्रसार करने के लिए एक हस्ताक्षर अभियान का आयोजन किया।
- BBMB आवासीय कॉलोनियों (तलवाड़ा) के पास धार्मिक खेलों सहित महत्वपूर्ण स्थानों पर स्वच्छता अभियान चलाया गया।
- अरूणाचल प्रदेश के कामेंग में सिंगल यूज प्लास्टिक को नष्ट करने का अभियान।
- नंगल में सार्वजनिक शौचालयों, स्कूलों और अस्पतालों की मरम्मत और नवीनीकरण।

ख. स्वच्छता पखवाड़ा मई 2026

स्वच्छता पखवाड़े को दर्शाने वाली जमीनी कार्रवाई

अगरतला गैस आधारित पावर स्टेशन, AGGBPS त्रिपुरा द्वारा वृक्षारोपण अभियान।

THDCIL टिहरी यूनिट में मासिक धर्म स्वच्छता जागरूकता सत्र का आयोजन किया गया।

THDCIL टिहरी, उत्तराखंड इकाई में नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया।

ii. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY
सत्यमेव जयते

- छात्रों, वैज्ञानिकों और कर्मचारियों के लिए शिल्परामम से CDFD लैब तक स्वच्छता जागरूकता दौड़ का आयोजन किया गया।
- स्वच्छता पखवाड़े पर सफाई मित्रों को सम्मानित किया गया।
- ब्रिक-THSTI ने सरकारी गर्ल्स स्कूल, NTI, फरीदाबाद में शौचालयों और कक्षाओं के नवीनीकरण की पहल की।
- फरीदाबाद के सैनिक कॉलोनी मार्केट में जन स्वच्छता अभियान और जागरूकता अभियान चलाया गया।
- 8 मई को ब्रिक-NCCS, पुणे में कचरे से कंचन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया।
- हैदराबाद में चर्च कॉलोनी और रामंतपुर में सिंगल यूज प्लास्टिक के एकल उपयोग को रोकने के लिए अभियान चलाया गया।
- रैली के बाद सार्वजनिक स्थानों पर व्यक्तियों को पर्चे वितरित करके स्वच्छता, साफ-सफाई और जल संरक्षण को बढ़ावा देने का प्रयास किया गया।

स्वच्छता पखवाड़े को दर्शाने वाली जमीनी कार्रवाई

छात्रों, वैज्ञानिकों और कर्मचारियों के लिए शिल्परामम से CDFD लैब तक स्वच्छता जागरूकता दौड़ का आयोजन किया गया

हैदराबाद में चर्च कॉलोनी और रामंतपुर में सिंगल यूज प्लास्टिक के एकल उपयोग को रोकने के लिए अभियान चलाया गया।

ग क) DDWS द्वारा किए गए राज्य के दौरे

पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के सचिव ने आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन, बेंगलुरू में तरल अपशिष्ट प्रबंधन संयंत्र का दौरा किया

पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के सचिव श्री अशोक के. के. मीणा ने 26 मई 2026 को बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन परिसर में तरल अपशिष्ट प्रबंधन संयंत्र के संचालन की समीक्षा करने के लिए इसका दौरा किया। उन्होंने संयंत्र में अपनाए गए प्रकृति-आधारित समाधानों का निरीक्षण किया, जिसमें निर्मित आर्द्रभूमि, मिट्टी जैव-निस्पंदन, अपशिष्ट जल संग्रह, शोधन, पुन: उपयोग प्रणाली और रखरखाव तंत्र शामिल हैं। सचिव को ग्रामीण क्षेत्रों में प्रणालियों को मजबूत करने पर ध्यान देने के साथ बेंगलुरु उर-बान जिले में ग्राम पंचायतों में स्वच्छता और तरल अपशिष्ट प्रबंधन के प्रयासों के बारे में जानकारी दी गई।

उन्हें संगठन की पर्यावरण संरक्षण पहलों, पौधे-आधारित शोधन, स्थायी अपशिष्ट जल प्रबंधन के लिए प्राकृतिक निस्पंदन और मिट्टी की गुणवत्ता को संरक्षित करने और आगे जाकर कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए गोबर आधारित जैविक उर्वरक उत्पादन के बारे में भी जानकारी दी गई।

इस यात्रा ने पूरे भारत में तरल अपशिष्ट प्रबंधन के लिए प्रकृति-आधारित समाधानों को आगे बढ़ाने में ऐसी मॉडल सुविधाओं के महत्व पर प्रकाश डाला।

DDWS ने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए SWM नियम, 2026 पर सुग्राही कार्यशाला का आयोजन किया

पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के सचिव श्री अशोक के. के. मीणा ने SWM नियम, 2026 के अनुपालन पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के SBM(G) मिशन निदेशकों के साथ एक वर्चुअल सुग्राही कार्यशाला की अध्यक्षता की। CPCB के सहयोग से आयोजित इस कार्यशाला में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के नियमों और निर्देशों के प्रमुख प्रावधानों पर ध्यान केंद्रित किया गया।

DDWS के सचिव ने ग्रामीण क्षेत्रों में सख्ती से अनुपालन पर जोर दिया, समय पर रिपोर्टिंग, जिला स्तरीय विशेष प्रकोष्ठों के गठन, चौतरफा अपशिष्ट पृथक्करण और डंपिंग साइटों की निगरानी जैसी प्राथमिकताओं पर प्रकाश डाला। CPCB ने नियमों के प्रमुख प्रावधानों और एक केंद्रीकृत ऑनलाइन पोर्टल सहित आगामी निगरानी तंत्र को प्रस्तुत किया।

SBM(G) की संयुक्त सचिव और प्रबंध निदेशक, सुश्री ऐश्वर्या सिंह ने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रश्नों का उत्तर दिया और SWM नियम, 2026 के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए थोक अपशिष्ट उत्पादकों की पहचान करने, डिजिटल निगरानी को मजबूत करने, नियमित रिपोर्टिंग और जमीनी स्तर की तैयारी सुनिश्चित करने के महत्व पर जोर दिया।

SWM नियम 2026 के कार्यान्वियन पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ पांच केंद्रीय सचिवों द्वारा संयुक्त समीक्षा बैठक

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (SWM) नियम, 2026 के कार्यान्वियन और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन की समीक्षा करने के लिए सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य सचिवों के साथ पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, पंचायती राज मंत्रालय तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय के सचिवों को एक साथ लाकर 13 मई 2026 को एक वीडियो कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के सचिव श्री अशोक के. के. मीणा ने स्वच्छता और अपशिष्ट प्रबंधन को आगे बढ़ाने में मजबूत स्थानीय अभिशासन, सामूहिक जिम्मेदारी और ग्रामीण स्थानीय निकायों (RLB) की महत्वपूर्ण भूमिका के महत्व को रेखांकित किया। उन्होंने निर्वाचित प्रतिनिधियों की भागीदारी, चार-स्ट्रीम अपशिष्ट पृथक्करण पर समुदाय को संवेदनशील बनाना तथा DWSM/DSBMG बैठकों जैसे जिला-स्तरीय समीक्षा प्लेटफार्मों में SWM को नियमित एजेंडे के रूप में शामिल करने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। उन्होंने मान्यता और प्रोत्साहन तंत्र के माध्यम से शहरी और ग्रामीण स्थानीय निकायों के बीच सुकर प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करने का भी आह्वान किया।

इसके बाद आयोजित वेबिनार में लगभग 10,000 हितधारकों की भागीदारी देखी गई, जिसमें राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों और जिलों के लिए भूमिकाओं, जिम्मेदारियों तथा कार्य बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित किया गया। SB-M(G) की संयुक्त सचिव एवं मिशन निदेशक, सुश्री ऐश्वर्या सिंह ने कार्यदक्ष कार्यान्वियन प्रणाली, सशक्त जिला प्रशासन और जिला पंचायतों के साथ समन्वय को सुदृढ़ बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने चार-श्रेणियों पृथक्करण, थोक अपशिष्ट उत्पादकों की पहचान, निगरानी तंत्र तथा क्षमता निर्माण सहित प्रमुख प्राथमिकताओं पर प्रकाश डाला। उन्होंने ODF Plus (मॉडल) परिणामों को प्राप्त करने के लिए जनभागीदारी और SWM नियम, 2026 के निरंतर अनुपालन के महत्व पर जोर दिया।

वित्त वर्ष 2026-27 के लिए SBM(G) चरण II पर पहली समीक्षा बैठक

SBM(G), DDWS ने SBM(G) चरण-II की स्थिति और प्रगति का मूल्यांकन करने के लिए 14 मई, 2026 को DDWS के सचिव श्री अशोक के.के. मीणा की अध्यक्षता में वित्त वर्ष 2026-27 के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ अपनी पहली समीक्षा बैठक आयोजित की। अपने स्वागत भाषण में, DDWS के सचिव ने ODF PLUS (मॉडल) गांवों की घोषणा में तेजी लाने, समय पर पहला और दूसरा सत्यापन सुनिश्चित करने तथा नवीनतम SWM नियम, 2026 के अनुपालन में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने पर जोर दिया। उन्होंने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से FSM अनुपालन को प्राथमिकता देने और वित्त वर्ष के शुरुआती महीनों में प्रगति को अधिकतम करने का भी आग्रह किया।

SBM(G) की संयुक्त सचिव एवं मिशन निदेशक, सुश्री ऐश्वर्या सिंह ने ODF PLUS (मॉडल) गांवों, निधि उपयोग, ग्रेवाटर प्रबंधन, FSM अनुपालन, ठोस और प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन तथा गोबरधन सहित प्रमुख घटकों में राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के कार्यनिष्पादन की विस्तृत समीक्षा प्रस्तुत की। अपने समापन भाषण में, उन्होंने सभी SLWM परिसंपत्तियों की कार्यशीलता सुनिश्चित करने और O&M नीतियों की अधिसूचना और कार्यान्वयन को प्राथमिकता देने हेतु राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों पर जोर दिया।

बैठक का समापन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से SBM(G) चरण II के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए निरंतर ध्यान, समय पर कार्रवाई और सुदृढ़ निगरानी के आह्वान के साथ हुआ।

गुजरात डेयरी सहकारी समितियों के साथ CBG/बायोगैस पहलों की प्रगति की समीक्षा

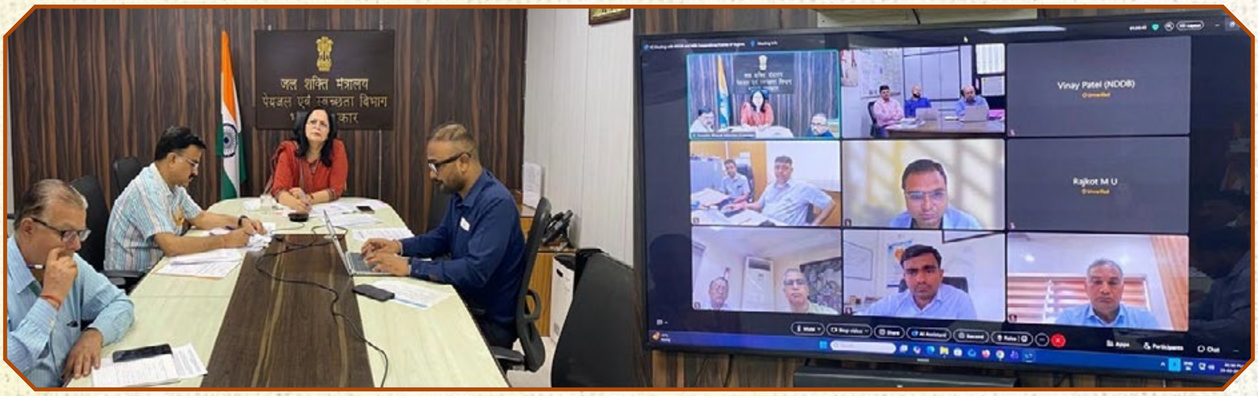

SBM(G) की संयुक्त सचिव एवं मिशन निदेशक, सुश्री ऐश्वर्या सिंह ने 18 दिसंबर 2025 को आयोजित पिछली समीक्षा की निरंतरता में CBG/बायोगैस संयंत्रों से संबंधित प्रगति के मूल्यांकन हेतु 19 मई 2026 को NDDB और गुजरात की दुग्ध सहकारी समितियों/डेयरियों के साथ एक अनुवर्ती समीक्षा बैठक (वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से) की अध्यक्षता की।

बैठक में NDDB के समूह प्रमुख श्री एस. चंद्रशेखर के साथ-साथ गुजरात की बनास, बड़ौदा, पंचमहल, सुमुल, राजकोट और वलसाड डेयरी सहकारी समितियों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। बैठक में हुई पिछली बातचीत के माध्यम से अद्यतीत सूचना की समीक्षा की गई और परियोजनाओं की स्थिति, प्रमुख चुनौतियों और भाग लेने वाली डेयरी सहकारी समितियों के साथ समन्वय पर ध्यान केंद्रित किया गया।

पारिवारिक बायोगैस संयंत्रों से संबंधित प्रगति और आगामी कार्यान्वयन से संबंधित उपलब्धियों पर चर्चा की गई, साथ ही सिविल टेंडर्स जैसी प्रक्रियाओं में तेजी लाने और उभरते मुद्दों का समाधान करने की आवश्यकता पर भी चर्चा की गई। CBG/बायोगैस पहलों का समयबद्ध कार्यान्वयन का समर्थन करने के लिए निरंतर निगरानी और समन्वय के महत्व को रेखांकित करते हुए सहकारी समितियों में प्रगति के संबंध में भिन्नता देखी गई।

SBM(G) और JJM के तहत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026 पर उपायुक्तों/जिला मजिस्ट्रेटों/ कलेक्टरों के साथ राष्ट्रीय समीक्षा बैठक

DDWS के सचिव श्री अशोक के. के. मीणा की अध्यक्षता में 22 मई 2026 को आयोजित JJM और SBM(G) पर सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के जिला कलेक्टरों/डीएम के साथ राष्ट्रीय समीक्षा बैठक में SBM(G) की संयुक्त सचिव एवं मिशन निदेशक, सुश्री ऐश्वर्या सिंह ने भाग लिया, जिसकी अध्यक्षता बैठक में जल सेवा प्रदायगी के साथ-साथ SBM(G) के कार्यान्वयन को सुदृढ़ बनाने पर ध्यान केंद्रित किया गया, जिसमें बेहतर स्वच्छता परिणामों और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (SWM) नियम, 2026 को प्रभावपूर्ण तरीके से लागे करने पर जोर दिया गया।

श्री अशोक के. के. मीणा ने इस बात पर प्रकाश डाला कि SBM(G) एक ऐसे चरण में प्रवेश कर चुका है जहां ग्राम पंचायत स्तर पर वैज्ञानिक अपशिष्ट प्रबंधन और विकेंद्रीकृत प्रणालियों पर अधिक जोर देने के साथ निरंतर सेवा प्रदायगी, कार्यशीलता और सामुदायिक स्वामित्व पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए।

सुश्री ऐश्वर्या सिंह ने SBM(G) चरण II के अंतिम वर्ष में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए ODF Plus (मॉडल) का दर्जा प्राप्त करने की आवश्यकता को दोहराया और SWM नियम, 2026 के अनुपालन पर जोर दिया। उन्होंने चार-श्रेणी-स्रोत पृथक्करण, थोक अपशिष्ट उत्पादक पंजीकरण, पुराने जमे हुए अपशिष्ट का शोधन, SBM(G) परिसंपत्तियों के सत्यापन और कार्यशीलता, ट्विन-पिट IHHL को बढ़ावा देने, निधि के समय पर उपयोग और DWSM बैठकों के माध्यम से जल तथा स्वच्छता की स्थिति की नियमित समीक्षा पर प्रकाश डाला। DC को निगरानी को सुदृढ़ बनाने, कार्यान्वयन अंतराल को दूर करने और ग्रामीण स्वच्छता परिणामों को बनाए रखने के लिए समन्वित कार्रवाई सुनिश्चित करने हेतु प्रोत्साहित किया गया।

घ. राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से वास्तविक कहानियां

(i) पश्चिम बंगाल में धार्मिक सभाओं में स्वच्छता उपाय

पश्चिम बंगाल में दक्षिण 24 परगना में गंगा सागर मेला, हुगली के तारकेश्वर में श्रावणी मेला, बीरभूम के लामबाजार में जयदेव केंदुली मेला और जलपाईगुड़ी में जलपेश मेला को कवर करते हुए प्रमुख धार्मिक सभाओं के दौरान अपशिष्ट प्रबंधन हेतु एक केंद्रित दृष्टिकोण है। राज्य ने ई-कार्ट, स्वच्छता कर्मचारियों, स्वयंसेवकों, एसएचजी सदस्यों को शामिल करते हुए और व्यापक अपशिष्ट संग्रहण अवसंरचना के निर्माण सहित अपशिष्ट प्रबंधन व्यवस्था की है।

गंगासागर मेला 2026 में, सागर प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन इकाई के माध्यम से 1,279 मीट्रिक टन से अधिक कचरा एकत्रित और व्यवस्थित किया गया, जिसमें प्लास्टिक कचरे का उपयोग सड़क निर्माण में किया गया। श्रावणी मेले के दौरान, 273 प्लास्टिक केजों, 853 कूड़ेदानों और 500 ई-कार्टों के जरिए अपशिष्ट प्रबंधन के प्रयासों में सहायता की गई, जबकि सड़क निर्माण के लिए प्लास्टिक कचरे को संसाधित किया गया और बायोडिग्रेडेबल कचरे को खाद में परिवर्तित किया गया तथा किसान समूहों को आपूर्ति की गई। इसी तरह के प्रयास जयदेव केंदुली मेले और जलपेश मेले में किए गए, जहां स्वयंसेवकों, एसएचजीएस और स्थानीय संस्थाओं ने स्वच्छता और जागरूकता गतिविधियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

इन धार्मिक सभाओं का अनुभव इस बात पर प्रकाश डालता है कि कैसे स्वच्छता और अपशिष्ट प्रबंधन को बड़ी धार्मिक सभा की आयोजना तथा प्रबंधन में एकीकृत किया जा सकता है।

घ. राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से वास्तविक कहानियां

(ii) हिमाचल प्रदेश में सह-शोधन के माध्यम से मलीय कीचड़ प्रबंधन का सुदृढ़ीकरण

Co-Treatment infrastructure at 2 STPs Nalagarh & Sunder Nagar

हिमाचल प्रदेश ने ग्रामीण क्षेत्रों में सुरक्षित स्वच्छता व्यवहारों को सुदृढ़ बनाने हेतु स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के मलीय कीचड़ प्रबंधन (FSM) घटक के तहत एक सह-शोधन दृष्टिकोण को अपनाया है। ग्रामीण विकास विभाग और जल शक्ति विभाग (JSV) के बीच एक सहयोग (हस्ताक्षरित MOU) के माध्यम से, ऑन-साइट स्वच्छता प्रणालियों से एकत्रित किए गए मलीय कीचड़ को शोधन के लिए सीवेज शोधन संयंत्र (STP) में ले जाया जा रहा है।

व्यवस्था के तहत, राज्य भर में सह-शोधन के लिए 22 STP स्वीकृत किए गए हैं। यह दृष्टिकोण मलीय कीचड़ के सुरक्षित शोधन के लिए मौजूदा अपशिष्ट जल शोधन अवसंरचना के उपयोग को सक्षम बनाता है, जबकि जल निकायों के असुरक्षित निपटान और संदूषण के जोखिम को कम करता है। एक बार चालू होने के बाद, इन सुविधाओं से 10 जिलों के लगभग 6,270 गांवों को सेवा मिलने की उम्मीद है, जो ग्रामीण तथा शहरी स्वच्छता प्रणालियों के बीच एकीकृत योजना का समर्थन करती हैं।

पालमपुर (244 गांव) और सुंदर नगर (111 गांव) में STP में दो कार्यशील सह-शोधन इकाइयां मौजूदा शोधन सुविधाओं के माध्यम से FSM को संचालित करने और ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता सेवा प्रदायगी को सुदृढ़ बनाने के राज्य के प्रयासों को दर्शाती हैं।

घ. राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से वास्तविक कहानियां

(iii) कुलगाम जिले में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन पहल

ग्रामीण स्वच्छता निदेशालय, जम्मू-कश्मीर के सहयोग से, कुलगाम जिले में एक विकेन्द्रीकृत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन मॉडल कार्यान्वित किया गया है। यह पहल घर-घर जाकर अपशिष्ट संग्रहण, बायो-डिग्रेडेबल कचरे को जैविक खाद में बदलने, डिजिटल प्लेट-फॉर्म के माध्यम से प्लास्टिक के पुनर्चक्रण तथा पॉलिथीन को हैंडलूम-आधारित इको-उत्पादों में पुनर्चक्रित करने पर केंद्रित है।

इस पहल ने कई ब्लॉकों में 4,000 से अधिक ग्रामीण परिवारों को कवर किया है और अपशिष्ट-आधारित उत्पादों के माध्यम से लगभग 80 लाख रुपये का वार्षिक राजस्व सृजित किए हैं। इसने स्थानीय किसानों को सस्ती जैविक खाद की आपूर्ति करते हुए कुशल और अकुशल दोनों तरह के 25 से अधिक स्थानीय रोजगार सृजित किए हैं। इस प्रयास से अपशिष्ट पृथक्करण में सामुदायिक भागीदारी में भी वृद्धि हुई है।

मॉडल की एक प्रमुख विशेषता प्लास्टिक अपशिष्ट संग्रहण और बिक्री के लिए ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रौद्योगिकी का एकीकरण है। यह अपशिष्ट प्रबंधन को ग्रामीण आजीविका और पारंपरिक हथकरघा परिपाटियों से भी जोड़ता है। समुदाय के स्वामित्व वाली, विकेन्द्रीकृत प्रसंस्करण इकाइयों का उपयोग स्थिरता और स्थानीय स्वामित्व सुनिश्चित करता है।

यह पहल ग्रामीण अपशिष्ट प्रणालियों को सुदृढ़ बनाते हुए प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन के 4R को बढ़ावा देकर SBM(G) सिद्धांतों के अनुरूप है।

(iv) टेक ए ब्रेक: इडुक्की में पर्यटन से जुड़ी सार्वजनिक स्वच्छता

इडुक्की में पल्लीवासल ग्राम पंचायत ने मुन्नार के पास एक प्रमुख पर्यटन कॉरिडोर में सार्वजनिक स्वच्छता के अवसंरचना को सुदृढ़ बनाने के लिए केरल सरकार की "टेक ए ब्रेक" पहल को कार्यान्वित किया है। पारंपरिक शौचालय परिसरों को विकसित करने के बजाय, पंचायत ने थीम-आधारित सुविधाओं का सृजन किया, जो शौचालयों को कैफे, फीडिंग रूम, सैनिटरी नैपकिन वेंडिंग मशीन और इनसिनरेटर जैसी आगंतुक सुविधाओं के साथ जोड़ती हैं। इसका उद्देश्य विशेष रूप से पर्यटकों, महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों के लिए सुरक्षित, सुलभ और अच्छी तरह से बनाए रखी गई सार्वजनिक स्वच्छता सुविधाएं प्रदान करना है।

पल्लीवासल में तीन "टेक ए ब्रेक" केंद्र विकसित किए गए हैं। KSRTC बस मॉडल, जिसका नाम "मुन्नार एक्सप्रेस पिंक कैफे एंड टेक ए ब्रेक" है, में शौचालय, मूत्रालय, वॉश बेसिन, एक सैनिटरी नैपकिन इनसिनरेटर और कुदुम्बश्री महिलाओं द्वारा संचालित एक कैफे शामिल हैं।

कराडिप्पारा में दूसरी सुविधा को ऐतिहासिक कुंडला घाटी रेलवे थीम के आस-पास डिजाइन किया गया है और इसमें शौचालय, एक कैफे, वॉच टॉवर और बच्चों का पार्क शामिल है। पोथामेडु व्यूप्वाइंट पर तीसरे केंद्र को शौचालय, वॉश क्षेत्र और मनोरंजक स्थानों के साथ एक विरासत किले की संरचना के रूप में डिजाइन किया गया है। परियोजनाओं को सामंजस्य के माध्यम से समर्थन दिया गया था, जिसमें SBM फंडिंग प्रत्येक मॉडल में योगदान दे रही थी।

यह परियोजना पंचायत के नेतृत्व, सुचितवा मिशन से तकनीकी मार्गदर्शन और कुडुम्बश्री इकाइयों के संचालन संबंधी समर्थन के साथ मजबूत सामंजस्य और हितधारक की भागीदारी को प्रदर्शित करती है। इस मॉडल ने कार्यात्मक आगंतुक सुविधाओं और स्थानीय रोजगार के अवसरों का सृजन करते हुए सार्वजनिक स्वच्छता मानकों में सुधार लाने में मदद की है।

ङ. सहभागिता खंड

क्या आप इन रोजमर्रा की बेकार वस्तुओं को सही डिब्बे में डालने के लिए छाँट सकते हैं? अपशिष्ट पृथक्करण के बारे में अपने जानकारी का परीक्षण करें और बेहतर स्वच्छता परिणामों के लिए 4 स्ट्रीम दृष्टिकोण का समर्थन करें।

अपशिष्ट छँटाई संबंधी चुनौती: आइटम रखें!

छांटने के लिए बेकार वस्तुएं

1. केले का छिलका
2. प्लास्टिक की बोतल
3. डायपर
4. पुरानी बैटरियां
5. प्रयुक्त टी बैग
6. कांच की बोतल
7. कार्डबोर्ड बॉक्स
8. गले का डिब्बा
9. सेव का गुदा (बीच का हिस्सा)
10. अवधी समाप्त दवा
11. कागज के कप
12. एल्युमिनियम का डिब्बा
13. टिशू पेपर
14. बिजली का बल्ब

एक आइटम का चयन करें और तय करें कि यह किस डिब्बे में जाना है!

पेयजल एवं स्वच्छता विभाग
जल शक्ति मंत्रालय
DEPARTMENT OF DRINKING WATER AND SANITATION
MINISTRY OF JAL SHAKTI

सत्यमेव जयते

स्वच्छ भारत
एक कदम स्वच्छता की ओर

स्वच्छता समाचार के अगले अंक में योगदान करने के लिए,
हर महीने की 15 तारीख से पहले अपने विचार साझा करें sbmiec.ddws@gmail.com

पेयजल एवं स्वच्छता विभाग
जल शक्ति मंत्रालय
भारत सरकार
DEPARTMENT OF DRINKING WATER AND SANITATION
MINISTRY OF JAL SHAKTI
GOVERNMENT OF INDIA
सत्यमेव जयते

विशेष सचिव का कार्यालय
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, जल शक्ति मंत्रालय
भारत सरकार।

चौथी मंजिल, पंडित दीनदयाल अंत्योदय भवन, CGO कॉम्प्लेक्स
लोधी रोड, नई दिल्ली - 110003
फ़ोन: 011-24362192 | ईमेल: js-sbm@gov.in